फार्म न. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़।

अनवान :– किरताराम आदि बनाम जानीदेवी आदि।

प्रकरण न. 155/2018 **निर्णय प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी ए**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अह जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
03/01/2019	आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष हाजिर। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया की प्रार्थीगण व अप्रार्थी न. 1 ता 4 के पिता रूपाराम पुत्र देवाराम जाति मेघवाल को रोही मालेर के खसरा न. 23 में 25.00 बीघा रकबा उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ ने दिनांक 20.07.1977 को आवंटन नियम 1970 में गैर खातेदार के रूप में उक्त रकबा आवंटन किया गया है। रूपाराम का उक्त रकबा पर आवंटन से ही कब्जा चला आ रहा था तथा दिनांक 12.06.2010 को उनके फौत हो जाने पर उक्त रकबा पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। रोही मालेर के खसरा न. 23 के 25.00 बीघा रकबा के प्रार्थना पत्र की मद सख्यां 4 में अकिंत चक 3 एम.आर.एम. के रकबा में पैमुद मुल रकबा 5.518 हैक रकबा पैमुद हुआ। चक बंदी के दौरान उक्त रकबा की जमाबन्दी बनाते समय यह रकबा प्रार्थीगण के पिता रूपाराम के नाम से गैर खातेदारी के स्थान पर अस्थाई आवंटी दर्ज करने की बजाय राजस्व रिकार्ड में आराजीराज कर दिया गया एवं उसके बाद से ही आराजीराज दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पिता के नाम से आवंटन हुई भूमि को काबिल काश्त योग्य बनाया है तथा प्रार्थीगण ने इस रकबा में भारी खर्चा व मेहन्त करके इस रकबा का पानी के लेवल से नीचा करके सिचाई योग्य बनाया है। प्रार्थीगण राजस्थान के मूल निवासी अनुसूचित जाति के काश्तकार है। जिनका पेसा काश्तकारी है तथा जैर प्रकरण रकबा को अपने नाम अस्थाई आंवटी दर्ज करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण को इस रकबा के आराजीराज दर्ज होने कि जानकारी मिलते ही दिनांक 20.03.2018 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस श्रीमान कलेक्टर मोहदय श्रीगगांनगर को भेजा तत्पश्चात् कोई कार्यवाही नही कि अब दिनांक 14.08.2018 को अप्रार्थी न. 7 का प्रतिनिधि पटवारी हल्का व अप्रार्थी न. 5 व 6 ने प्रार्थीगण को यह धमकी दी कि उकत रकबा आराजीराज है तथा वो लोग इसे आवंटन करवायेगें, इस पर प्रार्थीगण ने इस रकबा का घोषाणात्मक दावा पेश किया व दावा के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश करके अप्रार्थीगण के खिलाफ जैरप्रकरण रकबा में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी तरह कि दखलअदाजी न करने व उक्त रकबा किसी अन्य को आवंटन न करने का अनुतोष मागां। प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अधिवक्ता प्रार्थी कि एक तरफा बहस सुनी जाकर दिनांक 04.09.2018 को अप्रार्थी न. 5 ता 7 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रोही मालेर के खसरा न. 23 के पैमुद चक 3 एम.आर.एम. के उक्त रकबा की रिकार्ड व मौका कि यथास्थिती बनाए रखने के आदेश जारी किये गये व अप्रार्थीगण को साधारण व रजिस्टर डाक से तलब किये गये अप्रार्थी न. 1 ता 5 कि तरफ सजयं सैन अधिवक्ता उपस्थित आए। जवाब का उपयुक्त समय देने के उपरान्त भी जवाब पेश नही किया इसलिए उनका जवाब 25.06.2019 को बन्द किया गया व पत्रावली बहस हेतू रखी जाने के उपरान्त उभय पक्ष कि बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पृथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के	

पक्ष में तथा दावा के दौरान जैरप्रकरण रकबा किसी अन्य को आवंटन हो गया व प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान हो जावेगा। जिसकी भरपाई रूप्यों पैसो से होनी बडी मुश्किल है। इसलिए दावा के निर्णय तक पूर्व में जारी स्थगन स्थाई किया जावें। अप्रार्थी न. 1 ता 4 ने इसका समर्थन किया व अप्रार्थी न. 5 व 6 ने निवेदन किया कि उन्हें इस रकबा की जानकरी नही थी व अब यह रकबा प्रार्थीगण को पुख्ता आवंटन हो जाता है या इस रकबा के खातेदारी अधिकार जारी हो जाते है तो उन्हे कोई उज्र एवं ऐतराज नही है तथा वो लोग भविष्य में कोई दखल नहीं करेगे। पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों से इनकार करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष कि बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया । यह बात सही है कि रोही मालेर के खसरा न. 23 में 25 बीघा रकबा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 ता 4 के पिता रूपाराम पुत्र देवाराम को दिनांक 20.07.1977 से दस साला ऑवटन होकर रूपाराम के कब्जा काश्त मे चला आ रहा था, जिसका गिरदावरीयों में भी अंकन हो करके यह रकबा रूपा वल्द देवा कौम चमार के नाम से गैर खातेदारी दर्ज चला आ रहा था। बाद मे यह रकबा उपनिवेशन मे आ जाने से यह रकबा रूपाराम के नाम अस्थायी ऑवटी दर्ज रहा । चकबन्दी हो जान यह रकबा चक 3 एम.आर.एम.मे आ गया व चकबन्दी कर्मियो ने इस रकबा को आराजीराज कर दिया व गिरदावरीयो मे भी आराजीराज कर दिया । प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 ता 4 रूपाराम के जायज वारिस है व रूपाराम का गैर खातेदारी या अस्थायी ऑवटन रकबा अपने नाम जायज वारिस होने से दर्ज करवाने के हकदार है । सैटलमेन्ट कर्मियो को पृविष्टी बदलने का कोई हक नही है और यह रकबा दावा के निर्णय से पुर्व ही किसी अन्य को ऑवटन हो गया व प्रार्थीगण को इस रकबा से बेदखल कर दिया तो ना पुरा होने वाला नुकसान प्रार्थीगण को हो जावेगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, इसलिये इस प्रकरण मे पुर्व मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के निर्णय तक स्थायी किया जाना हम उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी न. 5 ता 7 को पाबन्ध किया जाता है कि चक 3 एम.आर.एम के पत्थर न. 59/19 के किला न. 21/2 के 0.228 हैक व पत्थर न. 59/28 के किला न. 20/0. 253 हैक व पत्थर न. 59/20 के किला न. 1/2, 2–8–9–10/1, 11/1, 12 ता 14, 16 ता 19, 20/1, 21/1, 22/1, 23/2, 24/2, 25/1 के 4.556 हैक व पत्थर न. 59/21 के किला न. 1/1, 2–3–10/1 का 0. 962 हैक कमाण्ड मय खाला प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में, किसी तरह कि दखलंअदाजी ना करे व रिकार्ड तथा मौका कि यथास्थिती बनाए रखे। आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 03/01/2020 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.10 11:57:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: